कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़।

पत्रांक 75 दिनांक 24/09/2019

अल्प कालीन निविदा सूचना

एतद्द्वारा नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि से उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के सीमान्तर्गत नलकूपों /शीर्षोपरि जलाशय/अन्य आवश्यक कार्य करनें के लिये श्रमिकों की आपूर्ति हेतु सील बन्द निविदायें दिनांक 11-10-019 को अपरान्ह 2:00 बजे तक ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा वेबसाइट **http://e-tendar.up.nic.in** पर दिनांक 26-09-019 से दिनांक 10-10-019 तक डाउनलोड व अपलोड की जा सकती है । सूची अनुसार निविदा प्रपत्र की धनराशि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के खाता संख्या 111282010888565 काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक शाखा–सिविल लाइन आजमगढ़ में जमा करके प्राप्ति रसीद अथवा नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में निविदा मूल्य नकद जमा करके प्राप्ति रसीद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। प्राप्त ई– निविदा की टेक्निकल बिड दिनांक 11-10-019 सांय 2:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी एवं उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेगी एवं फाइनेन्शियल बिड खोलने की तिथि आन लाइन ही नियत किया जायेगा। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले निविदा शुल्क जमा रसीद एवं जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 की मूल प्रति दिनांक ....को अपरान्ह ....बजे तक कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि किन्ही कारणवश निविदा तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है तो अगले कार्य दिवस में निविदा खोलने सम्बन्धी कार्यवाही यथावत की जायेगी। निविदा के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी के लिये कार्य दिवस में कार्यालय में सम्पर्क कर के जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

क0 सं0	कार्य का विवरण	आवश्यक श्रमिकों संख्या	योग्यता	जमानत धनराशि	निविदा शुल्क	कार्य अवधि
1	पम्प अण्टेडेन्ट	89	हाईस्कुल + आई0टी0आई0	10,00,000.00	10,000.00	5 वर्ष
2	चौकीदार	16	हाईस्कुल			
3	पाइप लाइन मिस्त्री	1	हाईस्कुल + आई0टी0आई0			
4	खलासी	6	पांच पास			
5	वाहन चालक	3	हाईस्कुल + वाहन लाइसेंस			
6	इलेक्ट्रिशियन	3	हाईस्कुल + आई0टी0आई0			
7	रिलीवर	5	हाईस्कुल + आई0टी0आई0			
	योग	123				

नियम एवं शर्ते–

1. समस्त श्रमिकों को शासनादेश संख्या –1292/9–12016–247 सा/15 दिनांक 04 मई 2016 द्वारा रूपया 170.00 प्रतिदिन/प्रतिश्रमिक की दर से पारिश्रमिक देय होगा। यदि इस सम्बन्ध में शासन/प्रशासन द्वारा जो भी पारिश्रमिक संशोधन किया जायेगा तदअनुसार प्राप्त निर्देश के अनुसार ही पारिश्रमिक संशोधन करते हुये भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

2.श्रमिकों की आपूर्ति की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ायी अथवा घटायी जा सकती है।

3.सेवा प्रदाता द्वारा समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई0पी0एफ0 जमा करना अनिवार्य होगा।

4.निविदा के साथ अपना ई0पी0एफ0 रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5.किसी भी श्रमिक के अनुपस्थित पाये जाने पर या शिकायत प्राप्त होने की दशा में विभाग को उसे हटाने का पूर्ण अधिकार होगा तथा सेवा प्रदाता के द्वारा उस श्रमिक के स्थान पर तत्काल दूसरा श्रमिक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

6.श्रमिकों के भुगतान से सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी सेवाप्रदाता फर्म की होगी । इसमें किसी प्रकार की शिथिलता, शिकायत अथवा कम पारिश्रमिक की शिकायत मिलने पर सेवा प्रदाता के विरूद्ध जो भी विभागीय कार्यवाही होगी वह उसे स्वीकार होगी इस आशय का नोटरी शपथ–पत्र निविदा के साथ दिया जाना अनिवार्य होगा।

7.सेवा प्रदाता द्वारा शासनादेश संख्या 4/1/2008 का–2–2008 लखनऊ दिनांक 23 फरवरी 2008 के अनुपालन में कुल उत्पन्न रोजगार का 21 प्रतिशत अनुसुचित जाति के व्यक्तियों , 02 प्रतिशत अनुसुचित जनजातियों के श्रमिकों तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछडे वर्गो के श्रमिकों का चयन किया जाना अनिवार्य होगा।

8.सेवा प्रदाता एवं उसके श्रमिकों को विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

9.शासनादेश संख्या 173/9–1– 13–30टी/13 लखनऊ दिनांक 09 जनवरी 2014 के अनुपालन में सेवा प्रदाता को प्रत्येक श्रमिक का राष्ट्रीय बैंक में खाता खुलवाकर पारिश्रमिक का भुगतान सीधे खाते में ही किया जायेगा।

आगे पृष्ठ (2) पर

10. प्राप्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत तथा बिना कारण बतायें निरस्त करनें एवं नियम /शर्तो /प्रतिबन्धों को शिथिल करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।

11. सेवा प्रदाता को श्रमिक आपूर्ति के सम्बन्ध में न्यूनतम 3 साल का अनुभव व 3 साल का आई0टी0आर0 संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

12.सेवा प्रदाता को प्रति श्रमिक के पारिश्रमिक में सेवाप्रदाता लाभांश एवं नियमानुसार ई0पी0एफ0, दुर्घटना बीमा तथा जी0एस0टी0 आदि को जोड़ते हुये अपनी निविदा प्रस्तुत करनी होगी। सेवा प्रदाता लाभांश अधिकतम 10 प्रतिशत (श्रमिक पारिश्रमिक का) तक ही स्वीकार किया जायेगा।

13.सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक श्रमिक को अपने स्तर से परिचय–पत्र जारी करना अनिवार्य होगा।

14.निविदादाता ठेकेदार /फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है तथा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आने वाली समस्त कटौती देय होगी।

15.प्रत्येक श्रमिक का दुघर्टना बीमा कराना अनिवार्य होगा। श्रमिकों के साथ किसी भी दुर्घटना होने की दशा में सेवा प्रदाता द्वारा दुर्घटना बीमा का लाभ दिलवाया जाना अनिवार्य होगा।

16.सेवाप्रदाता को निविदा के साथ चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र देय होगा जो कमशः पी0डब्लू0डी0 टी–04 एवं पी0डब्लू0डी0 टी–05 जो जिलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहीए एवं अध्यावधी होगें।

17.सेवाप्रदाता को निविदा के साथ 10 प्रतिशत की जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। बिना जमानत धनराशि के प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

18.निविदा के समय जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/के0वी0पी0/जमा पुष्टि रसीद व अन्य आवश्यक प्रपत्रों (स्वप्रमाणित) की स्कैन्ड कापी निविदा के साथ वेबसाइट **http://e-tendar.up.nic.in** पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

19.निविदा के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का निर्णय अन्तिम होगा जो उभय पक्षों को मान्य होगा।

20. सेवा प्रदाता अपने व्यय पर नगर पालिका के साथ अनुबन्ध कराया जाना होगा।

21. सेवा प्रदाता द्वारा समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति का निरीक्षण एवं उनके द्वारा किय गये कार्य का सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा नलकूपों की साफ–सफाई एवं छोटी–मोटी खराबियों जैसे फ्यूज बाधना, फेस बदलना इत्यादि सेवाप्रदाता एवं श्रमिकों की जिम्मेदारी होगी।

22. श्रमिकों की आपूर्ति का कार्य 1 वर्ष तक संन्तोषजनक ढंग से तक पूर्ण करने के उपरान्त ही गुणदोषों के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष हेतु आपूर्ति कार्य की अनुमति प्रदान की प्रदान की जायेगी।

23.सेवा प्रदाता की जमानत धनराशि (अनुबन्ध के उपरान्त) पांच वर्ष की अवधि हेतु अधिशासी अधिकारी के पक्ष में प्रतिभूत रहेगी तथा सन्तोषजनक कार्य समाप्ति के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

24. निविदा में प्रतिभाग किये जाने हेतु वही निविदादाता/ठेकेदार/फर्म अर्ह होगें जिनका नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु पंजीकरण/ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पंजीकरण /रजिस्ट्रेशन की स्कैन्ड कापी संलग्न किया जाना अनिवार्य है ।

25. निविदादाता को अपने व्यय पर इस आशय का रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर नोटरी शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं अभिलेख पूर्ण रूप से सही है तथा उसमें किसी प्रकार की कोई कूट रचना नहीं की गयी है एवं निविदा की समस्त शर्ते उसे अनिवार्य रूप से स्वीकार है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़
दिनांक 24-09-019

पृष्ठांकन संख्या उपरोक्तानुसार

1.विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र 1-आज/2-राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से प्रेषित कि अपने अगले अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुये प्रकाशित प्रति की 4 प्रतियों के बिल की दो प्रतियों के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

2.अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय, आजमगढ़ की सेवा में सूचनार्थ।

3.सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी आजमगढ़ को जनपद की बेबसाइट एन0आई0सी0 पर प्रसारित करने हेतु।

4.नाजिर कलेक्ट्रेट , आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

5.नगर पालिका परिषद, आजमगढ़।

6.लेखाकार, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़।

7.रोकड़पाल निविदा मूल्य जमा करने हेतु।

8.रिकार्ड कीपर निविदा मूल्य रसीद देने पर निविदा फार्म देने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़